पत्र संख्या विधि-1(2)-एन-3-(2008-09)/ 0809082 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 11 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/ प्रवर्तन),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

व्यवस्थापन आयोग से सम्बन्धित प्राविधान वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 62 से धारा 65 में दिये गये है तथा कार्य प्रणाली का विवरण वाणिज्य कर नियमावली के नियम 68 से 69 तक वर्णित है । वाणिज्य कर अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत व्यवस्थापन आयोग (सेटेलमेण्ट कमीशन) का गठन हो चुका है और वर्तमान में इसका कैम्प कार्यालय 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद पर स्थित है । मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा 64 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है ।

कोई भी व्यवहारी या अन्य व्यक्ति जिसे कोई नोटिस की तामील :-

उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा 45 की उपधारा(10) के अधीन की गई हो और जिस पर इस बात का संदेह हो कि उसने रूपये एक लाख से अधिक या ऐसी अधिक कर की धनराशि के भुगतान का अपवंचन किया है

या

धारा 48 की धारा (4) के अधीन या धारा 54 की उपधारा(1) के अधीन सारिणी के क्रम संख्या 2 और 14 की प्रविष्टियों के अधीन शास्ति आरोपित करने के लिए की गई हो, और जहॉ कि आरोपित की जाने वाली शास्ति की अधिकतम धनराशि एक लाख रूपये से अधिक होने की संभावना हो,

वह ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन दिन के भीतर, ऐसी सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करने के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित किये जाने वाले कर की धनराशि या आरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि या दोनो के व्यवस्थापन के लिए आयोग के समक्ष याचिका दायर कर सकता है ।

जहॉ आयोग के समक्ष कर के अपवंचन से सम्बन्धित कोई व्यवस्थापन मामला विचारार्थ लम्बित हो और यदि उसी प्राधिकारी द्वारा कोई नई सूचना ऐसे आधार पर जारी की जाती है जिसका पूर्व सूचना में उल्लेख नही था तो याची या कमिश्नर ऐसी अन्य सूचना में दी गई सामग्री के विचारण हेतु आयोग से निवेदन कर सकता है, प्रतिबन्ध यह कि आयोग ने व्यवस्थापन आदेश न पारित कर दिया हो ।

आयोग किसी मामलें से सम्बन्धित किसी याचिका को, जो कि किसी व्यवहारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्व में दाखिल किसी याचिका कि विषय वस्तु रही हो, ग्रहण नही करेगा ।

इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही या किये गये किसी आदेश के विरूद्व कोई अपील, पुनरीक्षण या पुर्नविचार नही होगा ।

आयोग के समक्ष आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत है :-

कोई भी व्यवहारी, या अन्य व्यक्ति, जिस पर धारा 45 क उपधारा (10), धारा 48 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नोटिस तामील कराया गया हो, या धारा 54 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तालिका की प्रविष्ट (2) या (14) में दिये गये कार्यो या भूलो के सम्बन्ध में अर्थदण्ड लगाने हेतु नोटिस जारी की गयी हो, उसके द्वारा व्यवस्थापन आयोग के समक्ष नीचे दिये गये प्रारूप में पॉच प्रतियों में सुपाठ्य याचिका प्रस्तुत की जायेगी जिसमें से प्रथम प्रति वाटर मार्क कागज पर टाइप की गयी होगी । प्रत्येक याचिका की प्रति, याचिकाकर्ता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा (नीचे दिये गये याचिका के प्रारूप के दिये गये ढंग से) हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होनी चाहिए । संदर्भित याचिका, व्यस्थापन आयोग के समक्ष आवेदन पत्र देने का प्रारूप नियम 69 में अंकित है जो निम्नवत है :-

समक्ष :
माननीय अध्यक्ष,
व्यवस्थापन आयोग,
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर,
लखनऊ ।

विषय ::उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 64 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष ....के लिए याचिका

सर्वश्री ....(याचिकाकर्ता का नाम एवं पता) ....

....याचिकाकर्ता

बनाम

....प्रतिपक्षी

श्रीमान जी,

मैं, ...एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि याचिका के अन्तर्तथ्य, जानकारियॉ एवं अन्य विषयक वस्तु मेरी समुचित जानकारी एवं विश्वास से सत्य है।

मै अग्रेतर घोषणा करता हूँ कि इससे पहले इस याचिका की विषय वस्तु पर आयोग के समक्ष कोई अन्य याचिका प्रस्तुत नही की गयी है।

स्थान ....

दिनांक....................

याचिकाकर्ता / याचिकाकर्ता के द्वारा
अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

इस याचिका के साथ दाखिल किये जाने वाले अभिलेख:

(1) याचिका में अपेक्षित नोटिस की प्रति

(2) देय फीस के जमा के प्रमाण में, चालान नं0 .... दिनांक ....
जमा...(बैंक / ट्रेजरी का नाम)

(3) स्वीकृत कर जमा का प्रमाण

(4) अन्य कोई भी सुसंगत अभिलेख (यदि कोई हो) ....
(अभिलेख के टाइटिल को इंगित करें)

इस व्यवस्था से अपने अधिक्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।

(अनिता सेत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

(1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
(3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर, अधिकरण , उ0प्र0।
(5) विशेष कमिश्नर, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
(6) समस्त डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी , वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर अपील)/ कारपोरेट सर्किल वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
(15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
(16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमिश्नर /असि0कमिश्नर(उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर लखनऊ / वाणिज्य कर ,इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियॉ में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ में।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0, 185/293अमीना बाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 12 माल एवेन्यू, लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्य नगर, सगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर, लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 साइट संख्या 3, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।

(30) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 साइट संख्या 3, मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।

(31) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएसन, प्लाट-ए , विभूति खण्ड ,गोमतीनगर ,लखनऊ।

(32)राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के मायम से

(33) प्रदेश प्रमुख, लघु उद्योग भारतीय, 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

(34) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

(35) श्री मदन मोहन भारतीय एडवोकेट, सदस्य, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।

(36) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैकल्टी आफ ला, बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।

(37) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।

(38) डा0 छेदी लाल साथी,ए-5/1579 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(39) श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

(40) श्री अशोक धवन, सी के -24/1 कुंज गली, चौक, वाराणसी।

(41) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मुजफ्फर नगर।

(42) श्री पी0 एस0 जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।

(43) श्री ब्रित चावला महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।

(44) श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।

(45) श्री संतोष कुमार पनामा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0 ज0 पा0निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।

(46) श्री शैलेश मिश्रा, महामँत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।

(47) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8 , 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुजफ्फर नगर।

(48) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरबाग रोड, मेरठ ।

(49) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।

(50) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0 प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर, कानपुर।

(51) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(52) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी, कानपुर।

(53) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

(54) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।

(55) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पँजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ।

(56) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।

(57) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।

(58) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, डा0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ।

(59) अध्यक्ष, आई0आई0ए0, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड फेस 2, गोमती नगर, लखनऊ-260010

(60) वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड , कैसर गंज रोड, मेरठ ।

(61) श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल, कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।

(62) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन , 67/116, सेवासमिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।

(63) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उ0प्र0 टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ (उ0प्र0)।

(64) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।

(65) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली नं0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बंदायू, यू0पी0।

(66) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा, -15/5 राजनगर, , गाजियाबाद।

(67) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

(वाई0एस0सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।